समयबद्ध/शीर्ष प्राथमिकता

संख्या–15/20/95–का–4–2009

प्रेषक,

कुंवर फतेह बहादुर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक : 28 अक्टूबर, 2010

विषयः–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को समय से अधियाचन प्रेषित किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, समसंख्यक शासनादेश दिनांक 30.9.1991, दिनांक 2.1.1996, दिनांक 27.5.1997, दिनांक 9.8.2007, दिनांक 29.12.2008, दिनांक 5.10.2009 एवं दिनांक 23.11.2009 के द्वारा आपसे यह अनुरोध किया गया है कि समय से चयन की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु, सम्पूर्ण सूचनाओं का समावेश करते हुए, संबंधित पदों के अधियाचन 02 वर्ष पूर्ण लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर दिये जांय ।

2. लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शासनादेशों में अंकित सुस्पष्ट निर्देशों के बावजूद उन्हें समय से अधियाचन उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं, जिससे विज्ञापन प्रकाशित कराने तथा समय से चयन कराने में अप्रत्याशित विलम्ब हो रहा है ।

3. उपर्युक्त के संबंध में आपसे निम्नवत् अनुरोध करने का मुझे पुनः निदेश हुआ है:–

(1) सम्मिलित राज्य/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2011 एवं सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2011 में सम्मिलित किये जाने वाले समस्त पदों के अधियाचन विलम्बतम दिनांक 15.11.2010 तक आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त परीक्षाओं के विज्ञापन दिनांक 1.1.2011 को प्रकाशित कराये जा सकें । अधियाचनों में समस्त सूचनाओं का समावेश करते हुए, सेवानियमावली की प्रति (हिन्दी/अंग्रेजी) उपलब्ध कराते हुए, लम्बवत एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति भी स्पष्ट करने का कष्ट करें । यदि उक्त परीक्षाओं में सम्मिलित करने के लिए कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं है, तो भी तदानुसार लोक सेवा आयोग को अवगत कराने का कष्ट करें ।

(2) आयोग द्वारा सम्पादित की जाने वाली अन्य परीक्षाओं/चयनों के अधियाचन भी यथाशीघ्र आयोग को प्रेषित करने का कष्ट करें ।

(3) विभिन्न चयनों एवं परीक्षाओं के अधियाचनों के संबंध में आयोग द्वारा की जाने वाली पृच्छाओं/ संवीक्षाओं का उत्तर समयबद्ध रूप से आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

4. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

19.10.2010

(कुंवर फतेह बहादुर)
प्रमुख सचिव

संख्या–15/20/95(1)–का–4–20100, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या–252/2/ई–1/2010–2011, दिनांक 19.10.2010 एवं पत्र संख्या–253/3/ई–1/2010–2011, दिनांक 19.10.2010 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

आज्ञा से,

(अश्वनी कुमार सिंह)
विशेष सचिव